राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :– एफ 7 (38)परि/नियम/मु./2009/19506 जयपुर, दिनांक : 7/2/1

कार्यालय आदेश संख्या 01/2012

विषय :– कार्यालय आदेश संख्या 12/2005 में संशोधन।

कार्यालय आदेश संख्या 12/2005 दिनांक 17.02.2005 यथा संशोधित जरिए आदेश संख्या 17/2005 दिनांक 18.03.2005 एवं 20/2010 दिनांक 08.07.2010 के द्वारा सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01.04.2005 से विभिन्न वर्ग के वाहनो हेतु पंजीयन अनुक्रमांक आवंटित करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। उक्त आदेश के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार वर्तमान में टैक्सी कैब (कार,जीप) मैक्सी कैब जिनकी बैठक क्षमता डाईवर को छोड़कर 12 से अधिक न हो, हेतु वाहन वर्गीकरण कोड "T" आवंटित किया गया है।

आदेश के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार उक्त आंवटित कोड के आगे व पीछे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर A to Z (I एवं O को छोडकर) लगाये जाने के निर्देश दिये गये है। अर्थात टैक्सी/मैक्सी हेतु वाहन वर्गीकरण कोड TA, TB, TC, TD, ... TZ & AT, BT, CT, DT, ...ZT दिये जाने के निर्देश प्रदान किए है। लेकिन केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 35 (1) के प्रावधानानुसार ट्रेड धारक को जारी किए जाने वाले ट्रेड क्रमांक में "TC" सीरीज के साथ तीन अंको के पंजीयन क्रमांक आवंटन किये जाने के निर्देश है।

अतः कार्यालय आदेश संख्या 12/2005 दिनांक 16.02.2005 में तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किये जाते है :–

"कार्यालय आदेश संख्या 12/2005, दिनांक 16.02.2005 के बिन्दु संख्या 7 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक 4 पर लिखे गये शब्दों को निम्न प्रकार पढ़ा जावें :–

"

4.	A,B, C ....Z (I एवं O को छोड़कर, टैक्सी/मैक्सी कैब की स्थिति में I, C एवं O को छोडकर)	1 शब्द	अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द

आदेश के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित तालिका के क्रमांक 5 पर लिखे गये शब्दों को निम्न प्रकार पढ़ा जावें :–

5.	टैक्सी कैब (कार/जीप) जिनकी बैठक क्षमता ड्राईवर को छोड़कर 12 से अधिक न हो।	TA to TZ (TI, TC एवं TO को छोडकर)	AT to ZT (IT, CT एवं OT को छोडकर)

परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव